तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
बनाम

अप्रार्थीगण—
1. उर्जाराम पुत्र श्री मांगीलाल
2. सांवलराम पुत्र श्री मांगीलाल
3. ओमाराम पुत्र श्री मांगीलाल
4. सुआदेवी पत्नी श्री मांगीलाल
जाति राईका निवासी चेराई
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

प्रार्थीगण की ओर से — अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।
अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांक:— 27/1/2

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि—तहसील तिंवरी

उपखण्ड अधिकारी ओसियां

के ग्राम बड़ाबास (चेराई) की सरहद में खसरा नम्बर 2728 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 2729 रकबा 31 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2731 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त भूमि जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसके पूर्वी दिशा की तरफ में चिपती खसरा नम्बर 2717 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा मौजा रामनगर (चेराई) की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने हेतु एक कदिमी रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 2717 की भूमि में से चलता है। जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि में से होकर आगे ग्रेवल सड़क तक जाता है। इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन उक्त रास्ते से ही पीढ़ियों से करते आ रहे है। परन्तु हाल ही में उक्त रास्ते को अप्रार्थी ने बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने में भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु उक्त रास्ता लघुतम व निकटतम एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि में जहां वर्तमान में रास्ता चल रहा है वहां पर 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। जो प्रार्थीगण का निकटतम व लघुतम एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण डी.एल.सी. की दर से रास्ते की भूमि का प्रतिकर अदा करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2728, 2729, 2731 कुल रकबा 54 बीघा 04 विस्वा ग्राम बड़ाबास (चेराई) में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नम्बर 2717 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा मौजा ग्राम रामनगर (चेराई) में से नजरी नक्शे में दर्शाया गयां रास्ता ए से बी जो लाल रंग से मार्क किया गया 12 फीट चौड़ा रास्ता तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें तथा नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करवाई जावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त न्यायालय समय में बार–बार आवाजे लगाई गई परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके विरूद्ध विरूद्ध पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

यह है कि उपरोक्त प्रकरण में हल्का पटवारी चेराई व भू–अभिलेख निरीक्षक चेराई द्वारा दिनांक 17.09.2020 को मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर दिनांक 04.11.2020 को पेश की गई।

Scanned with CamScanner

यह है कि बहस पक्षकारान अभिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा दर्शाया गया जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2728, 2729 व 2731 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 2717 ग्राम रामनगर में से बिन्दू ए से बी दर्शाया गया है जो सर्वाधिक नजदीकी रास्ता है जिसका रकबा 12 बिस्वा है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक, निकटतम व लघुतम रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2728, 2729, 2731 कुल रकबा 54 बीघा 04 बिस्वा ग्राम बड़ाबास (चेराई) में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2717 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा ग्राम रामनगर (चेराई) तहसील तिंवरी में से मौका रिपोर्ट में दर्शाये गये मार्क A से B 12 फीट रास्ता दिये जाने की घोषणा की जाती है। मौका रिपोर्ट में निर्धारित रकबा 12 बिस्वा रास्ते की भूमि बाबत् निर्धारित डी.एल.सी. की दर से दो गुना प्रतिफल खातेदारान को दिलवाया जाकर रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। जिसके बाबत् तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी की जावें, मौका फर्द रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दपतर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/2 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां